



राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)

कार्यालय : 82, पटेल कॉलोनी, गवर्नमेन्ट प्रेस के पास, सरदार पटेल मार्ग, जयपुर—302001
संरक्षक : सर्वश्री नानक कुन्दनानी, संतोष चन्द्र सुराणा, चौथमल सनाढ़िय, राजनारायण शर्मा, रामावतार शर्मा
(Regd. & Recognised by Govt. & Affiliated to ABRSM, AIPTF, AISTF, E.I. & RRKM)

| | | | |
|--|-----------------|-----------------|--------------------|
| सम्पत सिंह | नटवर लाल पांचाल | प्रहलाद शर्मा | अरविन्द व्यास |
| अध्यक्ष | सभाध्यक्ष | संगठन मंत्री | महामंत्री |
| मो. 94133—44625 | मो. 94143—52597 | मो. 94140—56109 | मो. 94143—96596 |
| क्रमांक : रा.शिक्षक संघ(राष्ट्रीय)/महामंत्री/118 | | | दिनांक —07.06.2021 |

माननीय मुख्यमंत्री महोदय,
राजस्थान सरकार जयपुर।

विषय :— एडिशनल अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण कर नियुक्त किए गए तृतीय श्रेणी अध्यापकों के लिए उच्चतम न्यायालय में एसएलपी दायर कर राहत प्रदान करने बाबत।

प्रसंग :— माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर खंडपीठ द्वारा याचिका संख्या SAW—1143/2018 में दिनांक 25/03/2021 को पारित निर्णय के क्रम में।

महोदय,

उपयुक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि की भर्ती में सैकड़ों तृतीय श्रेणी अध्यापकों की नियुक्ति राज्य सरकार ने विज्ञप्ति में एडिशनल को मान्य मानकर की थी। माननीय उच्च न्यायालय में दायर परिवाद में फैसला शिक्षकों के खिलाफ आने पर ढाई वर्षों से राजकीय सेवा में कार्यरत एडिशनल अंग्रेजी से नियुक्ति प्राप्त सैकड़ों तृतीय श्रेणी अध्यापकों की नौकरी जाने का भय पैदा हो गया है। इन शिक्षकों की नियुक्ति राज्य सरकार की विज्ञप्ति के अनुसार हुई थी। केवल अंग्रेजी अतिरिक्त विषय पर ही यह याचिका दायर हुई है। एडिशनल के आधार पर द्वितीय श्रेणी अध्यापकों की नियुक्ति भी राज्य सरकार ने की है। एडिशन के आधार पर तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी में अध्यापकों की पदोन्नति राज्य सरकार द्वारा वर्षों से की जा रही है। इन शिक्षकों की नियुक्ति के 2 वर्ष बाद एडिशनल से नियुक्त लगभग समस्त तृतीय श्रेणी अध्यापकों का स्थायीकरण राज्य सरकार ने कर दिया है। श्रीमान निदेशक महोदय, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर द्वारा गठित समकक्षता निर्धारण समिति ने भी एडिशनल को मान्य डिग्री माना है। भर्ती के नियमों का निर्धारण राज्य सरकार करती है। भर्ती के नियमों में एडिशनल डिग्री को मान्यता है। राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों ने बीए एडिशनल डिग्री करवाई जाती है। महोदय यह 3+1 वर्षीय डिग्री है जिसे स्नातक में एक अतिरिक्त विषय जोड़ने के लिए किया जाता है। अतः महोदय एडिशनल अंग्रेजी से नियुक्त तृतीय श्रेणी अध्यापकों के साथ न्याय करते हुए माननीय उच्च न्यायालय डीबी के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में एसएलपी दायर कर नियुक्ति प्राप्त शिक्षकों का समायोजन किया जाकर राहत प्रदान करें।

भवदीय

(अरविन्द व्यास)
महामंत्री

प्रतिलिपि :—

1. श्रीमान शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. श्रीमान मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्कूल शिक्षा, जयपुर।

(अरविन्द व्यास)
महामंत्री